>

Title: Need to take action against the persons involved in using fake letter of District Magistrate, Deoria of Deoria Parliamentary Constituency in Uttar Pradesh for Barhaj Gas Service in the district.

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल (देवरिया): सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि इस गम्भीर समस्या पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र देवरिया जिले के बरहज विधान सभा क्षेत्र में बरहज गैस सर्विस पर अनेकों समाचार-पत्रों में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी के समाचार आने, न्यायालय में इस एजेंसी के खिलाफ मामला चलने, देवरिया जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत मामला दर्ज करने के कारण इस एजेंसी को सील कर इसका लाइसेंस रद्द भी कर दिया, परन्तु इंडियन ऑयल कारपोरेशन के भ्रष्ट अधिकारियों ने मिलीभगत कर देवरिया जिले के डी.एम. का एक जाली पत्र में न्यायालय में कोई मामला दर्ज नहीं है, के आधार पर जल्दी-जल्दी कुछ माह में इस एजेंसी के बन्द रहने के बाद भी इसे दोबारा खोल दिया गया।

MR. CHAIRMAN: If there is any allegation, it will not go on record.

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल : इस सम्बन्ध में मैंने संसदीय प्रश्न भी करवाया, उस प्रश्न के उत्तर में गुमराह करने का प्रयास किया गया। मामले पर नवम्बर, 2011 में विशेषाधिकार के अन्तर्गत कार्रवाई करने का अनुरोध माननीय पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री जी से भी किया एवं आई.ओ.सी. के सी.एम.डी. एवं निदेशक, एल.पी.जी. को पत्र देकर इस प्रकरण की जानकारी दी गई और उनके अनुरोध पर फैक्स भी दिया गया।

मुझे सदन को यह बताते हुए खेद हो रहा है कि केन्द्र सरकार ने इस भ्रष्टाचार एवं डी.एम. जाली पत्र लगाने वाले एवं स्वीकार करने वाले के खिलाफ 420 के तहत मामला अभी तक दर्ज नहीं किया, जबकि देवरिया के डी.एम. ने इस गैस एजेंसी को पुनः खोलने पर आपत्ति जताई है। सदन में यह बताते हुए खेद हो रहा है कि सरकार ने इस प्रकरण में डी.एम. के जाली पत्र के प्रयोग पर एवं कालाबाजारी एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि देवरिया जिले कि बरहज गैस सर्विस पर देवरिया जिले के डी.एम. का जाली पत्र का प्रयोग करने एवं उसके द्वारा की गई कालाबाजारी के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई जनहित में है, मगर आई.ओ.सी. कम्पनी की मिलीभगत से कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। इससे तो यही महसूस होता है कि यह दौरे तबाही है और शीशे की अदालतें हैं, पत्थर की गवाही है। दुनिया में कहीं भी ऐसी तमसील नहीं मिलती कि कातिल ही लुटेरा है, कातिल ही सिपाही है।